कानूनन कम नहीं किया जा सकता है तथा प्रार्थीया द्वारा अपनी व अपने पति की खातेदारी भूमि जो ख0न0 1244 के लगवा समस्त आराजी का रकबा लगभग 02 बीघा कम होता है जिसकी पूर्ति ख0न0 1244 मे होती है। ख0न0 1244 का रकबा ख0न0 1240 के मध्य मे पुरा होता है। जहाँ तक मौके पर काबिज काश्त है।

बहस विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी सं0 2 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपने जबाब के तथ्यो को दोहराते हुये जबाब के अतिरिक्त कथंन मे दर्ज तथ्यों के अनुसार तरमीम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रकरण तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है। मुताबिक जमाबन्दी संम्वत 2072 — 2075 के खाता सं0 1 मे ख0न0 1193 रकबा 2.7819 गै0मु0रास्ता राज्य सरकार व खाता सं0 503 के ख0न0 1244 रकबा 1.2266 है0 अप्रार्थी सं0 2 के नाम दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे ख0न0 1244 का नक्शा तरमीमी रकबा 4.8920 है0 दर्ज होना बताया है जिसपर मौके पर रास्ता गुजर रहा है। शेष रकबा 1.2266 है0 पर भूमि काश्त के काम मे आना जाहिर किया है। ख0न0 1193 का तरमीमी रकबा 0.2632 है0 होना बताया है जो मौके पर रास्ते के काम मे आने का उल्लेख किया है। जबकि ख0न0 1193 का राजस्व रिकार्ड मे रकबा 2.7819 है0 दर्ज रिकार्ड है। इसी अनुसार ख0न0 1244 का रकबा राजस्व रिकार्ड मे 1.2266 दर्ज रिकार्ड है। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड मे डी0आई0आर0एल0एम0पी0 योजना के तहत की गई तरमीम व राजस्व रिकार्ड मे भिन्नता है। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती स्वीकार किया जाकर कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1193 रकबा 2.7819 है0 व ख0न0 1244 रकबा 1.2266 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर मे स्थित आराजीयात की डी0आई0आर0एल0एम0पी0 योजना के तहत की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रकबे के अनुसार नक्शा शीट मे तरमीम दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

8/9/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

रकबा 2.7819 हैक्टेयर गै०मु०रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जबकि नक्शा लट्ठा में रिकार्डे के तरमीम कम जगह की गयी है, जो प्रथम द्रष्टया ही गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त गलत तरमीम को दुरूस्त करवाने बाबत् प्रार्थी पटवारी हल्का लदाना व तहसीलदार फागी से कई बार निवेदन कर चुका लेकिन आज दिनांकतक उक्त गलत की गयी तरमीम को दुरूस्त नही किया गया तथा पटवारी हल्का ने तरमीम दुरूस्त करने से साफ इंकार कर दिया तथा सक्षम न्यायालय से आदेश लाने पर ही गलत तरमीम को सही करने बाबत् कहां इसलिये प्रार्थी को पूर्व में की गयी रकबे से अधिक तरमीम को निरस्त करवाने हेतु कहा इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। विवाद की विषय वस्तु श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलवी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया एवं अपने जबाब मे बताया की ग्राम लदाना के ख0न0 1244 नक्शा तरमीमी रकबा 4.8920 है0 के अधिकांश भाग पर वर्तमान में मौके पर रास्ता गुजर रहा है एवं शेष रकबा 1.2269 है0 भूमि पर काश्त की जा रही है। ख0न0 1193 तरमीमीइ रकबा 0.2632 है जो मौके पर रास्ता के उपयोग में आ रहा है।

अप्रार्थी सं0 2 की और से अधिवक्ता श्री पुरूषोतम शर्मा जरिये असालतन वकालतनामा उपस्थित आये तथा जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया एवं अपने जबाब के अतिरिक्त कथंन मे बताया की अप्रार्थी संख्या 02 व उसके पति की आराजीयात का पूर्व में सीमाज्ञान डी०जी०पी०एस मशीन करवाया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 02 व उसके पति की भूमि की सीमा खसरा नम्बर 1240 के मध्य तक आती हैं। खसरा नम्बर 1193 रकबा 2.7819 हैक्टेयर गै०मु० रास्ता जो खसरा नम्बर 1192 / 2 के दक्षिणी मेड से शुरू होकर खसरा नम्बर 1244 की उत्तरी मेड खसरा नम्बर 1240 के मध्य तक रकबा 2.7819 हैक्टेयर पूरा हो जाता हैं अगर उक्त खसरा नम्बर 1193 का अप्रार्थी संख्या 02 की उपस्थिति में पुनः सीमाज्ञान करवाया जाकर खसरा नम्बर 1193 की तरमीम दुरूस्त करवाई जाती हैं तो उसमे अप्रार्थी संख्या 02 को कोई आपत्ति नहीं हैं। खसरा नम्बर 1193 गैर0मु0 रास्ते की भूमि, खसरा नम्बर 1192 / 2 के दक्षिणी मेड से शुरू होता हैं जो खसरा नम्बर 1244 की उत्तरी मेड से लगता है प्रार्थीया व उसके पति की भूमि खसरा नम्बर 1244 के लगवा लगभग 34 बीघा हैं जिसकी तरमीम में रकबा कम ज्यादा किया गया है। जब तक अप्रार्थीया व उसके पति के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1244, 1245, 1245 / 1276 1246 1246 / 4277 1371 / 4278 है इसलिए जब तक प्रार्थीया अपनी व अपने पति की खातेदारी जब तक रकबा दुरूस्ती क तरमीम नही हो जाती तब तक अप्रार्थीया संख्या 02 के खसरा नम्बर 1244 का रकबा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0न0:– 164 / 2025
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)
निर्णय दिनांक:– 08.09.2025

ग्राम पंचायत लदाना जरिये सरपंच हेमलता शर्मा धर्मपत्नि आशुतोष शर्मा जाति ब्राहाम्ण निवासी ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. सन्तोष देवी पत्नि हनुमान जाति जाट निवासी ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री प्रेमचन्द शर्मा वकील प्रार्थी व श्री पुरुषोत्तम शर्मा वकील अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र दुरूस्ती किये जाने तरमीम नक्शा ट्रेस

निर्णय दिनांक:– 08.09.2025

प्रार्थना पत्र के तथ्य सक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम लदाना तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित आराजी ख0न0 1193 रकबा 2.7819 हैक्टेयर गै०मु०रास्ता की भूमि है, जो पर्चा सेटलमेन्ट के समय से ही उक्त भूमि राजकीय भूमि रही है, तथा रास्ते के उपयोग उपभोग में आती रही है, उक्त खसरा नम्बर 1193 किस्म गै०मु०रास्ता के लगवा दक्षिण दिशा में ख0न0 1244 रकबा 1.2266 हैक्टेयर बारानी अव्वल स्थित है, जो अप्रार्थी सं0 2 की नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। ख0न0 1193 रकबा 2.7819 हैक्टेयर गै०मु०रास्ता की भूमि ख०न० 1192 / 2 के दक्षिणी मेड से शुरू होकर ख0नं0 1193 दक्षिण मेड पर स्थित ख0न0 1244 तक जाकर रास्ते की भूमि समाप्त होती है, लेकिन वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी योजना डी०आई०आर०एल०एम०पी० द्वारा वर्तमान नक्शा ट्रेस में ख0न0 1193 गै०मु०रास्ता की भूमि को कम करते हुये ख०न० 1193 की सम्पूर्ण गै०मु०रास्ता की आराजी को ख0न0 1244 में मिला दिया जिससे रास्ते की भूमि ख0न0 1244 के खातेदार के नाम दर्ज हो गयी तथा गै०मु०रास्ते की भूमि राजस्व रिकार्ड से गायब हो गयी जिससे राज्य सरकार का रकबा कम हो गया तथा रास्ते की भूमि खातेदार के नाम दर्ज होने से आम जनता जो उक्त रास्ते की भूमि से आवागमन के उपयोग में लेती थी उससे काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, तथा प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते की भूमि पर पुख्ता रोड का निर्माण करना चाहने पर राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस का अवलोकन करने पर पता चला कि ख0न0 1193 किस्त गै०मु०रास्ता की भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं0 2 के नाम नक्शा ट्रेस में गलत तरमीम होने से दर्ज हो गयी है, इसलिये प्रार्थी यह आवश्यक है कि अपने पंचायत में स्थित गै०मु०रास्ते की भूमि की तरमीम को दुरूस्त करवाकर राजस्व नक्शा शीट में पुराने राजस्व नक्शा लट्टा अनुसार दुरुस्त करवाना आवश्यक हआ है। ख0न0 1193

उपखण्ड अधिकारी
फागी

फर्द अहकाम

ग्राम पंचायत लदाना जरिये सरपंच हेमलता बनाम तहसीलदार फागी

नाम न्यायालय :– उपखण्ड अधिकारी फागी

केस संख्या:– 164/2025

क्र.स	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	28/8/25	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.। वकील श्री पुरुषोत्तम शर्मा ने अप्रार्थी नं. ② की तरफ से वकालतनामा पेश किया साथ ही जवाब पेश किया है। पत्रावली में R जवाब/रिपोर्ट पूर्व में पेश हो चुकी है) पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 5/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी
	5/9/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप.। बहस उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 8/9/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी फागी
	8/9/25	पत्रावली पेश हुई पक्षकारान वकील उप.। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया जाता है। प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नं. से कम हो दाखिल दफ्तर रहे। उपखण्ड अधिकारी फागी

vivo U20 · AI Camera 2025.10.13 11:53